रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022022-233560
CG-DL-E-17022022-233560

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 725] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 2022/माघ 27, 1943
No. 725] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2022/MAGHA 27, 1943

India Code

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2022

का.आ.745(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अनुसरण में, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना जो संख्यांक का.आ. 4256(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में आरंभिक पैरा के अधीन, -

(i) क्र.सं. 1 के सामने, स्तंभ (2) में "राजीव स्वरूप" शब्दों के स्थान पर "राजीव स्वरूप" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) क्र. सं. 3 के सामने, स्तंभ (2) में "सदस्य" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(iii) पैरा 4 में "(एसईएसी-1)" कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के पश्चात् "यथास्थिति राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति-1 (एसईएसी-1) या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति-2 (एसईएसी-2)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. जे-11013/29/2007-आईए.II(I)]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना सं. का.आः 4256(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2022

S.O. 745(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4256(E), dated the 12th October 2021, namely:-

In the said notification, in the table under the opening paragraph,-

(i) against serial number.1, in column (2), for the words *"Rajeev Swarup", the words "Rajeeva Swarup"* shall be substituted;

(ii) against serial number.3, in column (2), the word *"Member"* shall be omitted;

(iii) in paragraph 4, after the brackets, letters and figure *"(SEAC-1)",* the words, figures, brackets and letters *"or State level Expert Appraisal Committee-2 (SEAC-2), as the case may be"* shall be inserted.

[F.No. J-11013/29/2007-IA.II(I)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4256(E), dated the 12th October 2021.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2022.02.17 16:18:39 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102021-230411
CG-DL-E-14102021-230411

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3909] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943
No. 3909] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, अक्तूबर, 12 , 2021

का.आ. 4256(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 4797 (अ) तारीख 12 सितम्बर, 2018 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, राजस्थान (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण, राजस्थान कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

1	2	3
1.	राजीव स्वरूप, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. सी-101, ज्वेल ऑफ इंडिया एपार्टमेंटस, राजस्थान अस्पताल, जे.एल.एन. मार्ग के सामने, मालवीय नगर, जयपुर-302018	अध्यक्ष;

2.	डॉ. सुरेश चन्द्र, सेवानिवृत्त भा.वन से. 35-ए, गुलमोहर लेन, सिरसी रोड, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान - 302021	सदस्य;
3.	सदस्य सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य सचिव

2. प्राधिकरण, राजस्थान के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।।

3. प्राधिकरण, राजस्थान ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

4. प्राधिकरण, राजस्थान राजस्थान राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति-1 (एसईएसी-1) की सिफारिशों के आधार पर अपना निर्णय लेगा।

5. प्राधिकरण, राजस्थान की सहायता के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, राजस्थान राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति, अर्थात राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति-1 और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति-2 राजस्थान (जिसे इसमें इसके पश्चात एसईएसी-1, एसईएसी-2, राजस्थान कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:-

एसईएसी-1, राजस्थान

(1)	(2)	(3)
1.	श्री एस.के. सोलंकी, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. 92/283, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर-3032020	अध्यक्ष;
2.	श्री मनी राम पूनिया, सेवानिवृत्त भा.वन से. बी.2/399, चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर-302021	सदस्य;
3.	श्री शफात हुसैन, सेवानिवृत्त भा. वन से. 151-नेमी नगर, गांधी पथ, वैशाली, जयपुर -302021	सदस्य;
4.	डॉ. बन्ना राम पंवार 1-खा-2, भगत की कोठी (एक्सटेंशन), आरएचबी, भगत की कोठी एक्सटेंशन, पाली रोड, जोधपुर – 342005	सदस्य;
5.	श्री. गज सिंह गोयल, हाउस नंबर 122, "गजशारदा" गुलजार नगर- ए भदवासिया सेकेंडरी स्कूल-आरटीओ लिंक रोड, जोधपुर -342006	सदस्य;
6.	श्री अजीत प्रताप सिंह, प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग विभाग, 149, शिव गंगा मार्ग, विद्या विहार परिसर, बिट्स पिलानी - 333031	सदस्य;
7.	श्री के आर जेनवा, प्रोफेसर रसायन विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर	सदस्य;

IndiaCode

	2/954, केबीएचबी जोधपुर	
8.	डॉ. विजय सिंह पंवार सेवानिवृत्त उप प्रधानाचार्य, 176, विनायक नगर बीआर बिड़ला स्कूल के पास, जोधपुर -342008	सदस्य;
9.	अपर मुख्य पर्यावरण अभियंता/वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-जयपुर	सदस्य-सचिव।

एसईएसी-2, राजस्थान

(1)	(2)	(3)
1.	श्री इशाक अहमद मुगल, सेवानिवृत्त भा. वन से., 22, इनकम टैक्स कॉलोनी, इमरत्य बेरा पाओटा 'सी' रोड, जोधपुर-342006	अध्यक्ष;
2.	श्री अजय कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त भा. वन से., बी-158 जनता कॉलोनी, जयपुर राजस्थान।	सदस्य;
3.	श्री राकेश माथुर, सेवानिवृत्त आरएफएस, 36, वन विहार कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर	सदस्य;
4.	डॉ सुरेश कुमार सिंह, प्रो और अध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग विभाग, एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग के संकाय, जेएनवी विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान	सदस्य;
5.	डॉ. अनिल व्यास, वी-बी, सेक्टर-02, यूनिवर्सिटी स्टाफ कॉलोनी, ओल्ड रेजीडेंसी रोड, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर-342011	सदस्य;
6.	श्री महेश चंद्र शर्मा, सेवानिवृत्त अपर मुख्य पर्यावरण अभियंता, फ्लैट नंबर 103, तिलक अपार्टमेंट, सी-202, मनु मार्ग, तिलक नगर, जयपुर, राजस्थान	सदस्य;
7.	श्री सतीश कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त वास्तुकार, मुख्य नगर नियोजक, एनसीआर एफ-16, टोडरमल मार्ग, शंकर पथ, बानी पार्क जयपुर- 302016	सदस्य;
8.	अपर मुख्य पर्यावरण अभियंता/वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-जयपुर	सदस्य-सचिव।

IndiaCode

6. एसईएसी-1 और एसईएसी-2 राजस्थान के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. एसईएसी-1 और एसईएसी-2, राजस्थान ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसिूचना में विनिर्दिष्ट है।

8. एसईएसी-1 और एसईएसी-2, राजस्थान सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेंगे और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

9. हितों के टकराव से बचने के लिए :

(क) प्राधिकरण, राजस्थान और एसईएसी-1 और एसईएसी-2, राजस्थान के अध्यक्ष और सदस्य यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्शी संगठन और किस परियोजना प्रस्तावक के साथ सहयुक्त हैं।

(ख) प्राधिकरण, राजस्थान और एसईएसी-1 और एसईएसी-2, राजस्थान के अध्यक्ष और सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी किसी भी परियोजना के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण (ईआईए), पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने में न तो कोई परामर्श देंगें, न ही सहयुक्त होंगे, जिसका आकलन प्राधिकरण, राजस्थान और एसईएसी-1 और एसईएसी-2, राजस्थान द्वारा किया जाना है; और

(ग) यदि गत पाँच वर्षों में प्राधिकरण, राजस्थान और एसईएसी-1 और एसईएसी-2, राजस्थान के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए कोई परामर्शी सेवा प्रदान की है या ईआईए अध्ययनों का संचालन किया हैं, ऐसी स्थिति में, वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली किसी परियोजना के आकलन की प्रक्रिया में प्राधिकरण राजस्थान और एसईएसी-1 और एसईएसी-2, राजस्थान की बैठकों में स्वयं सम्मिलित होने से बचेंगे।

10. राजस्थान सरकार, प्राधिकरण, राजस्थान और एसईएसी-1 और एसईएसी-2, राजस्थान के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और वह सचिवालय सभी वित्तीय और संभार तंत्र जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन और इनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगा।

11. प्राधिकरण, राजस्थान और एसईएसी-1 और एसईएसी-2, राजस्थान के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता राजस्थान राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदेय होगें।

[फा. सं. जे-11013/29/2007-आईए.II(I)]

जिग्मेत टकपा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2021

S.O. 4256(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 4797(E) dated 12th September, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the State Government of Rajasthan, hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) (hereinafter referred to as the Authority, Rajasthan) comprising of the following Members, namely: -

(1)	(2)	(3)
1.	Rajeev Swarup, Retired IAS, C-101, Jewel of India Aptts., Opp. Rajasthan Hospital, J.L.N. Marg, Malviya Nagar, Jaipur-302018	Chairman;

2.	Dr. Suresh Chandra, Retired IFS 35-A Gulmohar Lane, Sirsi Road, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan - 302021	Member;
3.	Member Secretary, Environment Department, Government of Rajasthan	Member-Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority, Rajasthan shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Rajasthan shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Rajasthan shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee-1 (SEAC-1) constituted under paragraph 5 for the State of Rajasthan.

5. For the purpose of assisting the Authority, Rajasthan, the Central Government in consultation with the State Government of Rajasthan, hereby constitutes two State Level Expert Appraisal Committees, that is, the State Level Expert Appraisal Committee-1 and State Level Expert Appraisal Committee-2 (hereinafter referred to as the SEAC-1 and SEAC-2, Rajasthan) comprising of the following Members, namely: -

SEAC-1, Rajasthan

(1)	(2)	(3)
1.	Shri S.K. Solanki, Retired IAS, 92/283, Shipra Path, Manasarover, Jaipur-3032020	Chairman;
2.	Mani Ram Poonia, Retired IFS, B-2/399, Chitrakoot Scheme, Vaishali Nagar, Jaipur- 302021	Member;
3.	Shri Shafaat Husain, Retired IFS, 151-Nemi Nagar, Gandhi Path, Vaishali, Jaipur – 302021	Member;
4.	Dr. Banna Ram Panwar 1-Kha-2, Bhagat Ki Kothi (extn), R.H.B. Bhagat Ki Koth Extension, Pali Road, Jodhpur-342005	Member;
5.	Shri. Gaj Singh Goyal, House No. 122, "Gajsharda" Guljar Nagar- A Bhadwasia Secondary School-R.T.O. Link Road, Jodhpur -342006	Member;
6.	Shri Ajit Pratap Singh, Professor Civil Engineering Department, 149, Shiv Ganga Marg, Vidya Vihar Campus, BITS Pilani - 333031	Member;
7.	Shri K R Genwa, Professor Department of Chemistry, Jai Narain Vyas University Jodhpur 2/954, KBHB Jodhpur	Member;
8.	Dr. Vijay Singh Panwar Retired Vice Principal 176, Vinayak Nagar Near BR Birla School Jodhpur -342008	Member;
9.	Additional Chief Environment Engineer /Senior Environment Engineer Rajasthan State Pollution Control Board-Jaipur	Member-Secretary.

SEAC-2, Rajasthan

(1)	(2)	(3)
1.	Shri Ishaq Ahmed Mughal, Retired IFS, 22, Income Tax Colony, Imartya Bera Paota 'C' Road, Jodhpur- 342006	Chairman;
2.	Shri Ajay Kumar Gupta, Retired IFS, B-158 Janata Colony, Jaipur Rajasthan.	Member;
3.	Shri Rakesh Mathur, Retired RFS, 36, Van Vihar Colony, Tonk Road, Jaipur	Member;
4.	Dr. Suresh Kumar Singh,	Member;

IndiaCode

	Prof. & Head Department of Civil Engineering, M.B.M. Engineering College Faculty of Engineering, J.N.V. University Jodhpur, Rajasthan	
5.	Dr. Anil Vyas, V-B, Sector -02, University Staff Colony, Old Residency Road, Jai Narain Vyas University, Jodhpur-342011	Member;
6.	Shri Mahesh Chandra Sharma, Retired Additional Chief Environment Engineer, Flat No. 103, Tilak Apartment,C-202, Manu Marg, Tilak Nagar, Jaipur, Rajasthan	Member;
7.	Shri Satish Kumar Sharma, Retired Architect, Chief Town Planner, NCR F-16,Todermal Marg, Shankar Path, Bani Park Jaipur- 302016	Member;
8.	Additional Chief Environment Engineer /Senior Environment Engineer Rajasthan State Pollution Control Board-Jaipur	Member-Secretary.

6. The Chairman and Members of the SEAC-1 and SEAC-2, Rajasthan shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC-1 and SEAC-2, Rajasthan shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC-1 and SEAC-2, Rajasthan shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. In order to avoid any conflict of interest, -

(a) the Chairman and Members of the Authority, Rajasthan and SEAC-1 and SEAC-2, Rajasthan, shall declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) the Chairman and Members of the Authority, Rajasthan and SEAC-1 and SEAC-2, Rajasthan shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environmental Impact Assessment (EIA) Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Rajasthan and SEAC-1 and SEAC-2, Rajasthan during their tenure; and

(c) if in the past five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Rajasthan and SEAC-1 and SEAC-2, Rajasthan have provided consultancy services or conducted EIA studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meeting of the Authority, Rajasthan and SEAC-1 and SEAC-2, Rajasthan in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

10. The Government of Rajasthan shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Rajasthan and SEAC-1 and SEAC-2, Rajasthan and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

11. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Rajasthan and SEAC-1 and SEAC-2, Rajasthan shall be paid as per the rules of the State Government of Rajasthan

[F. No. J-11013/29/2007-IA.II(I)]

JIGMET TAKPA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.11.01 16:45:00 +05'30'